

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट आडिट पैरों /अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तरों की अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई व कुछ आडिट पैरों/अनुच्छेदों का अंकेक्षण के दौरान निपटारा किया गया। पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

पैरा	11	अनिर्णित
------	----	----------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

पैरा	7	अनिर्णित
------	---	----------

पैरा	10	अनिर्णित
------	----	----------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

पैरा	7	अनिर्णित
------	---	----------

पैरा	9	अनिर्णित
------	---	----------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

पैरा	3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
------	---	--

पैरा	4	निर्णीत
------	---	---------

पैरा	5	निर्णीत
------	---	---------

पैरा	6	अनिर्णीत
------	---	----------

पैरा	7	निर्णीत
------	---	---------

पैरा	8	निर्णीत (पावति प्राप्त पैरा समाप्त)
------	---	-------------------------------------

पैरा	9	अनिर्णीत
------	---	----------

पैरा	10	अनिर्णीत
------	----	----------

पैरा	11	अनिर्णीत
------	----	----------

पैरा	12	निर्णीत
------	----	---------

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार चौहान, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण द्वारा आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु 5/2012 का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के प्रदान न करने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन जिला सोलन के वर्ष 2012-13 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹11,000 आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 के नाम भेजने हेतु अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधियाचना संख्या: 2013-14-284 दिनांक 22.10.2013 द्वारा अनुरोध किया गया। मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन द्वारा दी जोगिन्द्रा सेंट्रल को ओपरेटिव बैंक सीमित सोलन के बैंक ड्राफ्ट सं0 140774 दिनांक 07.11.2013 के माध्यम से ₹11,000/- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं की आय-व्यय विवरणिका तथा तुलन पत्र (Balance sheet) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“क” से परिशिष्ट-“घ” पर संलग्न है।

5 निवेश :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 31.3.13 तक ₹8,09,199 का निवेश जोगिन्द्रा सेंट्रल को आप्रैटिव बैंक सीमित सोलन की सावधि जमा में निवेशित है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट “क” पर संलग्न है।

6 बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि जमा रखने पर लगभग ₹9,986/— की ब्याज की हानि :—

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, सोलन के बचत खाता सं0 11466 में दिनांक 31.3.2013 को मु0 ₹9,75,702/— जमा थी जोकि काफी अधिक प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में इसी तरह की आपत्ति अभिकरण की अवधि 4/2011 से 3/2012 की अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में भी उठाई गई थी परन्तु इसके उपरान्त भी अभिकरण ने इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी बचत खाते में दिन-प्रति-दिन की जरूरत से अधिक राशि रखी गई है। अवधि 15.9.2012 से 11.3.2013 के दौरान अभिकरण के बचत खाता सं0 11466 में जमा की गई, निकाली गई और शेष राशि का तिथि-वार विवरण निम्न प्रकार से है :—

दिनांक	जमा की गई राशि	निकाली गई राशि	शेष
13.9.12	-----	-----	188671.00
15.9.12	327729.00	-----	516400.00
15.12.12	-----	25028.00	491372.00
31.12.12	7433.00	-----	498805.00
24.1.13	115083.00	-----	613888.00
5.2.13	130240.00	-----	744128.00
16.2.13	-----	34080.00	710048.00
12.3.13	-----	500000.00 (सावधि जमा)	210048.00

उक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिकरण अपने दिन-प्रति-दिन के व्यय का आकलन करके लगभग ₹4,50,000/—को सावधि जमा खाते में 180 दिनों के लिए निवेश कर सकता था तथा उक्त अवधि में बचत खाते की ब्याज दर 4 प्रतिशत की तुलना में सावधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करके लगभग ₹9,986/— का अतिरिक्त ब्याज अर्जित कर सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि अभिकरण को इस प्रकार ब्याज में हो रही निरन्तर हानि से बचाने के लिए भविष्य में इस सन्दर्भ में उचित प्रबन्ध करके बचत खाते में

आवश्यकता से अधिक राशि को न रख कर अधिक राशि को उचित समय अवधि के लिए सावधि जमा में निवेश कर अधिक से अधिक ब्याज से आय अर्जित की जाए।

7 सावधि जमा राशि को देय तिथि में प्राप्त न करने पर ₹251/- की ब्याज की हानि:-

सावधि जमा पंजिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अभिकरण ने विजय बैंक, सोलन में सावधि खाता सं0 57931 में दिनांक 8.9.2011 को एक वर्ष के लिए 9.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ₹2,99,089/- निवेश किए थे जिसकी परिपक्वता पर ₹3,27,729/- दिनांक 8.9.2012 को अभिकरण के बचत खाते में जमा होनी चाहिए थी जबकि उक्त राशि सात दिनों के उपरान्त दिनांक 15.9.2012 को जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सोलन के बचत खाता संख्या: 11466 में जमा की गई। इस प्रकार अभिकरण को ₹3,27,729/- को सात दिन देरी से जमा करने पर ब्याज में 4 प्रतिशत की दर से बचत खाते के ब्याज के रूप में ₹251/- की हानि हुई है। अतः अभिकरण को ₹251/- ब्याज की जो हानि हुई है उसकी जांच करने के उपरान्त इस राशि की वसुली उचित स्रोत से की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

8 निष्क्रिय बचत खातों के बारे में:-

अभिकरण के खाता-वही के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अभिकरण के नाम पर निम्नलिखित बैंकों में बचत खाते गत वर्षों से बिना किसी लेन-देन के चल रहे हैं इन खातों को बिना लेन-देन के चालु रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2013 को जमा राशि
1	विजया बैंक, राजगढ़ रोड़ सोलन	770301011000606	₹1130
2	एक्सीज. बैंक सोलन	910010027518884	₹871

9 सहायता अनुदान:-

(क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन को ₹3,65,000/- (तीन लाख पैंसठ हजार रुपये) राज्य सरकार से तथा ₹8,68,000 (आठ लाख अड़सठ हजार रुपये) केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई ।

(ख) वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति, उपयोग तथा अन्तशेष का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

	राज्य सरकार का भाग	केन्द्र सरकार का भाग	कुल योग
प्रारम्भिक शेष	8,22,172.00	(-) 1,77,670.00	6,44,502.00
वर्ष के दौरान अनुदान की प्राप्ति	3,65,000.00	8,68,000.00	12,33,000.00
योग:-	11,87,172.00	6,90,330.00	18,77,502.00
वर्ष के दौरान उपयोग की गई अनुदान की राशि	(-) 2,23,763.00	(-) 3,25,560.00	(-) 5,49,323.00
अन्त शेष (उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार)	9,63,409.00	3,64,770.00	13,28,179.00

उपरोक्त अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है । उपरोक्त विवरणानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष के अन्त में दिनांक 31.3.13 को राज्य सरकार का भाग ₹9,63,409/- तथा केन्द्र सरकार के का भाग ₹3,64,770/- अन्तशेष के रूप में पाया गया ।

10 अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त न करना :-

निम्नलिखित लाभार्थियों को तालाब बनाने/तालाब सुधार/प्रथम वर्षीय आदानों की लागत हेतु मत्स्य विकास अभिकरण, सोलन द्वारा अनुदान की राशि प्रदान की गई थी परन्तु अभिकरण द्वारा इन लाभार्थियों से अनुदान राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित फार्म "बी" पर प्राप्त नहीं किए गए । अतः इन लाभार्थियों से अनुदान राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र फार्म "बी" पर प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

क्रम सं०	केस नं०	लाभार्थी का नाम
1	33 / 2011-12	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री पाल सिंह
2	31 / 2011-12	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह
3	15 / 2010-11	श्री मोहम्मद रसूल पुत्र श्री दीनू
4	3 / 2011-12	श्री नन्दे साहनी पुत्र श्री सुरदू साहनी
5	2 / 2009-10	श्रीमति उषा रानी पत्नी श्री श्रीचन्द
6	9 / 2010-11	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सरिया राम
7	11 / 2010-11	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दासू राम
8	10 / 2010-11	श्री दर्शन लाल पुत्र श्री गुरदास राम

11 भण्डार में नकारा पड़ी विभिन्न वस्तुओं की नीलामी बारे :-

भण्डार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के भण्डार का भौतिक निरीक्षण दिनांक 5.2.2013 को किया गया था। भौतिक निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भण्डार में निम्नलिखित वस्तुएँ नकारा घोषित पाई गई हैं परन्तु अभिकरण द्वारा इन नकारा वस्तुओं की नीलामी करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अतः इन नकारा वस्तुओं की शीघ्र-अतिशीघ्र नीलामी की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

क्रम सं०	वस्तु का नाम	संख्या
1	टाईप राईटर/कॉपी होल्डर	2
2	टार्च 2 सैल निप्पो	1
3	केलकुलेटर	1
4	कम्बल	3
5	रजाई	1
6	दरी	1
7	लोहे की बाल्टी	1
8	साईन बोर्ड	1
9	एक्सटेंशन बोर्ड	1
10	टी स्केयर	1
11	सैट स्केयर	1

12	पलम्पिंग फोर्क	1
13	पलेन टेबल स्टैण्ड	1
14	ड्राईंग बोर्ड	1
15	हैंड लेवल	1
16	इंजनियरिंग लेवल	1
17	बेवी वेईंग स्केल	1
18	एक्योरिम	1
19	लोहे का टब	1
20	स्टील ग्लास	2

12 लघु आपत्ति विवरणी:— लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई।

13 निष्कर्ष:— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:—फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)-100/86—खण्ड—8 दिनांक 31.1.14 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- पंजीकृत :—**
- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण स्थित शामती, स्थित सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
 - (2) उप सचिव (मत्स्य) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002.
 - (3) मुख्य मत्स्य प्रारक्षी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
 - (4) श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.